.5212/2024

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः 215212 /XXVII(7) E-file-53526/2023
देहरादून, दिनांकः 03 ~~मई~~ जून, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–61, दिनांक 02.04.2018 द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) के अन्तर्गत विवरण पत्र–8 (विविध वित्तीय अधिकार) में "किसी कार्यालय में आहरण वितरण के कार्यों के सम्पादन हेतु आहरण वितरण अधिकारी एक स्वतंत्र इकाई के रूप स्थापित संस्थान के सर्वोच्च राजपत्रित अधिकारी को, जो लेखा–प्रक्रिया तथा वित्तीय नियमों से भली–भांति परिचित हो, को नामित किये जाने की व्यवस्था है।

2– प्रदेश में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने के कारण आहरण वितरण के कार्य में अत्यधिक कठिनाई हो रही हैं। अतः अपवादस्वरूप जिन विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के पद लम्बे समय से रिक्त है, उन विद्यालयों में स्थायी रूप से नियुक्त शिक्षक (प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एल0टी0) जिन्हें प्रभारी प्रधानाचार्य/प्रभारी प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया गया है, को सम्बन्धित विद्यालय में आहरण वितरण के कार्य के सुचारू संचालन हेतु आहरण वितरण अधिकारी घ ोषित किया जाता है।

सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर व्यय विवरण के प्रेषण की सूचना तथा महालेखाकार से लेखों का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।

Signed by Ganga Prasad
Date: 03-06-2024 14:59:40
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव

संख्याः तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग, देहरादून उत्तराखण्ड ।
4–महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड ।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

5–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6–निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8–आडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10–वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
11–एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Shriprakash
Tiwari
Date: 03-06-2024 16:52:33
(श्रीप्रकाश तिवारी)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

संख्या:1440/XL-1–2024–108/2006 (ई फाईल–29733)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 22 सितम्बर, 2024

विषय :– आयुर्वेदिक पद्वति से सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रित सदस्यों के द्वारा उपचार कराने पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–850/जी–142(MR)mix/2024–25 दिनांक 16 मई, 2024 के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **आयुर्वेदिक पद्वति से उपचार पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति** की व्यवस्था किये जाने हेतु उत्तराखण्ड में सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एंव मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण (वर्तमान एवं सेवानिवृत्त) तथा विधान मण्डल के मा0 सदस्यों (वर्तमान एवं भूतपूर्व) उनके आश्रितों के द्वारा उपचार कराने पर व्यय हुई धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के परीक्षण, प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति हेतु निर्धारित किये जाने हेतु आदेश संख्या–890/XXXIII(1) 2009–108/2006 दिनांक–25 जनवरी 2010 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्र0 स0	प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी
1	रू0–1.5 लाख तक	कार्यालयाध्यक्ष	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
2	रू0–1.5 लाख से रू0 5.00 लाख तक	कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो।	निदेशक आयुर्वेदिक एंव यूनानी सेवायें,
3	रू0 5.00 लाख से अधिक	प्रशासकीय विभाग	तदैव

2– आदेश संख्या–890/XXXIII(1)2009–108/2006 दिनांक–25 जनवरी 2010 की शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा ई पत्रावली संख्या–29733 में प्रदत्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहें।

भवदीय,

Signed by
Ravinath Raman
Date: 22-09-2024 15:43:13

(रविनाथ रामन)

सचिव।

संख्याः   /XL-1–2024–108/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 आयुष मंत्री को मा0 आयुष मंत्री जी/मा0 मुख्यमत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. - समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. - स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. - समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
5. - समस्त जिलाधिकारी/समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड देहरादून।
6. - प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार भवन कोलागढ़ रोड देहरादून।
7. - समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. - राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
9. - समस्त जिला आयुर्वेदिक एंव यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड
10. - राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर।
11. - वित्त विभाग (अनुभाग–1,2,3,4,5,6,7,8,9)
12. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 251136 /XXX(2)/2024–E69151
देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना संख्या 251128 / XXX(2)/2024–E69151, दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2024 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।।
13. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून
14. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर ।
18. गार्ड फाईल।

सलग्नकः यथोक्त

आज्ञा से,

Signed by
Lalit Mohan Rayal
Date: 30-10-2024 16:31:37

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या: 251128 /XXX(2)/2024–E 69151
देहरादून: दिनांक 30 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 एवं इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों एवं आदेशों को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग **(Forgo)** नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक कि इस विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से उत्तराखण्ड राज्य में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति हेतु सम्बन्धित सेवा नियमावलियों में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(ड.) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।

अध्यारोही प्रभाव

3. इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी भी सेवा नियमावली में किसी असंगत बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

पदोन्नति का परित्याग (Forgo)

4. राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत कार्मिकों द्वारा पदोन्नति का परित्याग (Forgo) करने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जा सकेगी–

(1) राज्याधीन सेवाओं में आयोग/विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक के पदोन्नति आदेश में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकतम पन्द्रह दिन की अवधि निर्धारित की जायेगी। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकेगा;

(2) जब कोई कार्मिक उसे दी गई पदोन्नति स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो वह लिखित अनुरोध कर सकता है कि उसे पदोन्नत न किया जाए और नियुक्ति प्राधिकारी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुरोध पर विचार करेगा;

(3) पदोन्नति का परित्याग करने वाले संबंधित कार्मिक से इस आशय का विधिवत् शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नहीं करेगा और इसके परिणामस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन सूची से अगले पात्र कार्मिक को पदोन्नत किया जा सकेगा;

(4) एक बार पदोन्नति का परित्याग करने के पश्चात् संबंधित कार्मिक को भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा;

(5) ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा पदोन्नति का परित्याग (Forgo) किया जाता है, के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति का परित्याग करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए स्वविवेक से यह निर्णय लेंगे कि उन्हें भविष्य में, जनहित में, संवेदनशील/महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए अथवा नहीं।

नियमावली का लागू होना	5.	यह नियमावली राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों की नियमित पदोन्नति के सम्बन्ध में लागू होगी।
अनुशासनिक कार्यवाही का किया जाना	6.	इस नियमावली के उपबन्धों को लागू करने में शिथिलता बरते जाने पर उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के उपबन्धों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।

Signed by
Anand Bardhan
Date: 30-10-2024 16:28:42
(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no. 251128 dated 30 October, 2024 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel and Vigilance Section-2
N0. 251128 /XXX(2)/2024-E 69151
Dehradun, Dated 30 October, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, in supersession of Uttarakhand State Services Forgo of Promotion Rules, 2020 and all the existing rules and orders on this subject, the Governor is pleased to make the following rules for Forgo of Promotion in Uttarakhand State Services:-

The Uttarakhand State Services Forgo of Promotion Rules, 2024

Short title and Commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand State Services Forgo of Promotion Rules, 2024.

(2) It shall come into force at once.

Definitions 2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "Appointing Authority" means Appointing authority as mentioned in concerned Service Rules for appointing on public services and posts in the State of Uttarakhand;

(b) "Commission" means the Uttarakhnad Public Service Commission;

(c) "Constitution" means the Constitution of India;

(d) "Government" means the Government of Uttarakhand; and

(e) "Governor" means the Governor of Uttarakhand.

Overriding effect 3. These rules shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any service rules in

force immediately before the commencement of these rules.

Forgo of Promotion 4. The following procedure may be adopted by the Appointing authority on the forgo of the promotion by personnel under the state services-

(1) On the recommendation of the Commission/ Departmental Promotion Committee in the state services, a maximum period of fifteen days shall be fixed by the Appointing authority for joining in the promotion order of concerned employee. In case of not joining, the additional time shall not be given by the Appointing authority under any circumstances;

(2) When a personnel does not want to accept the promotion offered to him, then he may make a written request that he should not be promoted and the appointing authority shall consider the request taking into account relevant aspects;

(3) A duly sworn affidavit should be obtained from the concerned personnel who forgo the promotion to the effect that he shall never again demand promotion in future and as a result, the next eligible personnel from the selection list may be promoted by the Appointing authority;

(4) After forgo the promotion once, the concerned personnel shall not be included in the eligibility list for future promotions;

(5) In respect of such personnel who forgo the promotion, the Appointing authority, after analyzing the reasons of forgo the promotion, shall decide at its discretion whether in future, in public interest, they

		should be posted on sensitive/important posts, or not.
Application of Rules	5.	These rules shall be applicable in relation to regular promotion of personnel appointed under the State Government Services.
Disciplinary action to be taken	6.	If relaxation is given in implementing provision of these rules Disciplinary proceedings may be instituted under the provisions of the Uttarakhand Government Servants' Conduct Rules, 2002 and the Uttarakhand Government Servant (Discipline and Appeal) Rules, 2003.

By Order,

(Anand Bardhan)
Additional Chief Secretary.

I/183994/2024

संख्याः 183994 /XXX(2)/2024/E-33080

प्रेषक,

शैलेश बगौली
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2024

विषयः उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में संशोधन विषयक।

महोदय,

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :–

इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा;

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

अतः उपरोक्त समिति द्वारा प्रदत्त संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 18(3) के सन्दर्भ में सुगम से सुगम पारस्परिक स्थानान्तरण भी किया जा सकेगा किन्तु ऐसे कार्मिकों की वर्तमान सुगम की सेवा अवधि, पारस्परिक स्थानान्तरण उपरान्त तैनाती स्थान में जोड़ी जायेगी और दोनों स्थानों में जोड़कर कुल चार वर्ष की सेवा होने के उपरान्त कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–7(क) की श्रेणी में माने जायेंगे।

भवदीय,

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 22-01-2024 14:35:16

(शैलेश बगौली)
सचिव।

प्रतिलिपिः

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 23/01/2024 05:40 PM

/183994/2024

2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

4. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।

5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

23.01.24

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 23/01/2024 05:40 PM

संख्याः 244310 /XXX(2)/2024/ई–33080

प्रेषक,

ललित मोहन रयाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 07 अक्टूबर, 2024

विषयः स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–19(2) में उल्लिखित संक्रमणकाल को विस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्रावधान है कि :–

इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा;

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्रावधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

2– वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–19 (1) के अनुसार " प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यूनतम अर्हकारी सेवा का न्यूनतम आधा भाग कार्मिक द्वारा दुर्गम स्थान पर व्यतीत किया जायेगा।"

अधिनियम की धारा–19(2) के अनुसार "इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 30.06.2020 तक की अवधि को संक्रमणकाल की अवधि मानकर इस अवधि में प्रोन्नति की दशा में, यदि कार्मिक द्वारा, ऐसा आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत नहीं किया गया हो तो प्रोन्नति पर तभी विचार किया जायेगा, जब वह यह बंधपत्र दे कि ऐसा भाग पूरा होने की अवधि तक वह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर तैनात रहेगा।"

..........2

3– कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश संख्या–206, दिनांक 31.08.2020 द्वारा संक्रमणकाल की अवधि दिनांक 30 जून 2022 एवं तदोपरान्त शासनादेश संख्या–।/53697/2022 दिनांक 01.08.2022 द्वारा संक्रमणकाल की अवधि दिनांक 30 जून 2024 तक विस्तारित की गयी थी, किन्तु स्थानान्तरण अधिनियम लागू होने के पश्चात वर्तमान तक स्थानान्तरण अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार शतप्रतिशत स्थानान्तरण क्रियान्वित नहीं हो सके हैं, जिसके फलस्वरूप कार्मिकों द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवायें नहीं दी जा सकी हैं। उक्त के दृष्टिगत धारा–19(2) में उल्लिखित संक्रमणकाल की अवधि विस्तारित किये जाने की आवश्यकता है।

4– अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश संख्या–206, दिनांक 31.08.2020 एवं शासनादेश संख्या–।/53697/2022 दिनांक 01.08.2022 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–19(2) में उल्लिखित संक्रमणकाल की अवधि को अग्रिम 02 वर्ष अर्थात दिनांक 30 जून, 2026 तक इस शर्त के साथ विस्तारित किया जाता है कि इस अवधि में स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–19(4) के अनुसार जो कार्मिक अपने सेवाकाल में दुर्गम में तैनात नहीं हो सके हैं, वे भविष्य में पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिए धारा–13(1) के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण के लिए अनुरोध कर लेंगे। अतः इस निमित्त स्थानान्तरण सत्र, 2024–25 में स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 31.08.2024 में भी छूट प्रदान की जाती है। भविष्य में संक्रमणकाल विस्तार किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

Signed by
Lalit Mohan Rayal
Date: 01-10-2024 18:28:55

प्रतिलिपिः

1. मुख्य निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. गार्ड फाईल।

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

संख्या: 365329/2026/XXVII(9)/स्टाम्प–02/2024/ई–92427

प्रेषक,

गंगा प्रसाद,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–9 देहरादूनः दिनांक 28 जनवरी, 2026

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2025 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि सामग्री, निर्माण कार्य और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए शासनादेश सं0–47, दिनांक 13.08.2025 के द्वारा उत्तराखण्ड (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2025 एवं शासनादेश सं0–310161, दिनांक 30.06.2025 द्वारा मानक निविदा प्रपत्रों (Standard Bidding Document) को उत्तराखण्ड राज्य में लागू किया गया है।

2– उक्त के संबंध में महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा ऑडिट के दौरान www.uktenders.gov.in पोर्टल पर अधिप्राप्ति प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियाँ एवं अनियमितताएं इंगित की गयी हैः–

1. निविदा की अवधि न्यूनतम 02 सप्ताह से कम रखी जा रही है।
2. कतिपय निविदाकर्ता द्वारा बार बार निविदा में प्रतिभाग किये जाने पर भी उन्हे निविदा प्रदान न किया जाना, निविदाओं में प्रॉक्सी बिडर्स की उपस्थिति को दर्शाता है।
3. ई–प्रॅक्योरमेंट सिस्टम में Input Validation का अभाव होना और विभागों का अपूर्ण संगठनात्मक ढांचा।
4. निविदाओं को गलत TIA (Tender Inviting Authorities) के साथ मैप किया जाना।
5. यूजर रजिस्ट्रेशन का लंम्बित होना और बिना उचित कारणों के तकनीकी बिड्स को स्वीकार या अस्वीकार करना।
6. निविदाकर्ता द्वारा एक ही एफ.डी.आर. एवं अन्य अभिलेखों को कई निविदाओं में उपयोग मे लाया जाना।
7. ई–टेंडरिंग से बचने के लिए कार्य को छोटे–छोटे टुकड़ों में बांटना।
8. उच्च दरों पर L2 बिडर (दूसरे स्थान के निविदादाता) को अनुबंध देना।
9. अमान्य दस्तावेजों के साथ यूजर्स का पंजीकरण होना।

3— अतः महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा की गयी ऑडिट आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने नियंत्रणाधीन विभागों को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2025 एवं मानक निविदा प्रपत्रों (Standard Bidding Document) में निहित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 28-01-2026
10:31:35

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

संख्याः 365329/2026/XXVII(9)/स्टाम्प–02/2024/ई–92427 दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Gauri Shanker Joshi
Date: 28-01-2026
10:44:15

(गौरी शंकर जोशी)
अनु सचिव।

2025-XXVII-9-Finance Department (Computer No. 92427)
eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 28/01/2026 11:00 am

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
ई0प0सं0–91414
संख्याः 364899 / 2026 / XXVII(9) / 02 / अधि0प्रा0 / 2024 / टी0सी0
देहरादूनः दिनांक 27 जनवरी, 2026

अधिसूचना

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2025 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थातः–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1)इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

नियम 3.6.1.ii का संशोधन 2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2025 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3.6.1.ii के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ii. इन दरों का शासन द्वारा समय –समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है। निविदा प्रतिभूति को शासन/ प्राधिकरण के नाम पर बैंक ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी (ई–बैंक गारंटी सहित) आदि के रूप में बंधक रखा जायेगा अथवा ई–बैंकिंग (यदि कोई हो) के माध्यम से जैसा भी सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि तथा क्रेता के हितों	ii. इन दरों का शासन द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है। निविदा प्रतिभूति को शासन/प्राधिकरण के नाम पर बैंक ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंक गारंटी (ई–बैंक गारंटी सहित) या इंश्योरेंस सियोरिटी बॉण्ड आदि के रूप में बंधक रखा जायेगा अथवा ई–बैंकिंग (यदि कोई हो) के माध्यम से जैसा भी सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि तथा क्रेता के हितों की सभी प्रकार से सुरक्षा हेतु आवश्यक हो, जमा किया जा सकेगा।

की सभी प्रकार से सुरक्षा हेतु आवश्यक हो, जमा किया जा सकेगा। सामान्यतः निविदा प्रतिभूति की वैधता निविदा की अंतिम वैध अवधि के पश्चात् 45 दिन होगी परंतु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।	सामान्यतः निविदा प्रतिभूति की वैधता निविदा की अंतिम वैध अवधि के पश्चात् 45 दिन होगी परंतु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

नियम 3.6.2.ii का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3.6.2.ii के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ii कार्यपूर्ति प्रतिभूति वाणिज्यिक बैंक से निर्गत आदाता के नाम (एकाउंट पेई) डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी आदि, जिस स्वरूप में विभाग/सक्षम प्राधिकारी के हित सभी प्रकार से सुरक्षित करने हेतु आवश्यक हो, ली जाये एवं उसकी सत्यता को सत्यापित कर लिया जाय।	ii कार्यपूर्ति प्रतिभूति वाणिज्यिक बैंक से निर्गत आदाता के नाम (एकाउंट पेई) डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंक गारंटी या इंश्योरेंस सियोरिटी बॉण्ड आदि, जिस स्वरूप में विभाग/सक्षम प्राधिकारी के हित सभी प्रकार से सुरक्षित करने हेतु आवश्यक हो, ली जाये एवं उसकी सत्यता को सत्यापित कर लिया जाय।

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 26-01-2026
19:39:44

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या–364899 (1)/2026/XXVII(9)/02/अधि0प्रा0/2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
7. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल।

FIN9-SR/M/17/2024-XXVII-9-Finance Department-Part(1) (Computer No. 91414)
…d from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 27/01/2026 12:09 pm

9. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली 2025 की 100 प्रतियाँ राजपत्र में प्रकाशित करते हुए वित्त अनुभाग–9, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 27-01-2026
10:15:31

आज्ञा से,
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

FIN9-SR/M/17/2024-XXVII-9-Finance Department-Part(1) (Computer No. 91414)
ed from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 27/01/2026 12:09 pm

संख्या–377773 / 2026 / XXVII(9)/ 02 / अधिप्राप्ति / 2024/ई0–76643

प्रेषक,

गंगा प्रसाद,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / विशेष प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–9 देहरादून : दिनांक 11 मार्च, 2026

विषय– खरीद एवं निविदा प्रक्रियाओं में भू–स्थानिक सूचना पर भारतीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक भारत के महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, महासर्वेक्षक कार्यालय (जी0डी0पी0डी0सी0 सचिवालय), नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्रांक–T-87/1750-NGP-2022, दिनांक 13.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा खरीद एवं निविदा प्रक्रियाओं में भू–स्थानिक सूचना पर भारतीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

2– अतः भारत सरकार के उक्त पत्र की संलग्नकों सहित प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त विभागों में भू–स्थानिक सूचना संबंधी खरीद एवं निविदा प्रक्रियाओं में भारतीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने स्तर से भी अपने नियंत्राधीन विभागों को दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

Digitally signed by
Ganga Prasad
Date: 11-03-2026
10:42:15

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव

संख्या–377773 / 2026 / XXVII(9)/02 / अधिप्राप्ति / 2024/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. गार्ड फाइल।

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव

हितेश कुमार एस. मकवाणा, भा.प्र.से.
भारत के महासर्वेक्षक
सदस्य सचिव, जी.डी.पी.डी.सी.
Hitesh Kumar S. Makwana, I.A.S.
Surveyor General of India
Member Secretary, GDPDC

सत्यमेव जयते

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
महासर्वेक्षक का कार्यालय
(जी.डी.पी.डी.सी सचिवालय)
SURVEY OF INDIA
Surveyor General's Office
(GDPDC Secretariat)

D.O. No. T-87/1750-NGP-2022 Date: 13th January, 2026

Dear Sir,

Subject: Adoption of Indian Standards on Geospatial Information in Procurement and Tendering Processes.

As you are aware that the government of India has approved and notified the National Geospatial Policy (NGP) in December 2022. The NGP, is a citizen-centric policy that seeks to strengthen the Geospatial sector to support national development, economic prosperity and a thriving information economy.

For implementation of the NGP, GoI has constituted Geospatial Data Promotion and Development Committee (**GDPDC**) as the apex body at the National level to steer the course of the development of Geospatial Sector in the Country by formulating guidelines and strategies. As per NGP, SoI will continue to be the overreaching nodal agency for Geospatial data and Surveyor General of India (SGI) is the member secretary of the GDPDC.

One of the functions of the GDPDC is to Develop, promulgate, and review the standards for the National Fundamental and Sectoral Data Themes through the Bureau of Indian Standards (BIS) and their adoption by the Partnering Agencies.

It is observed that several State Governments and Central Government agencies are engaged in activities involving public procurement and tendering processes with geospatial components, with a substantial portion of such work being outsourced to private entities. To ensure uniformity, accuracy, and interoperability in such procurements, the Survey of India (SoI), as the overarching nodal agency for geospatial data, has emphasized the need for using Standards in public procurement and tenders. Accordingly, the list of Indian Standards on Geospatial Information (**attached as Annexure**) is being circulated to the States/Union Territories for their reference and use in procurement and tendering processes, as appropriate. The same is also available in the public domain on the Bureau of Indian Standards (BIS) portal at https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect/pow_details.

To facilitate wider dissemination and adoption of these standards, it is requested that the same may be circulated to the concerned departments, agencies, and implementing authorities under your jurisdiction, with an advisory to consider their use in public procurement and tendering processes involving geospatial data, technologies, and services. For any specific requirements for which Indian standards are not available, we may consider using ISO standards, if available. This will ensure interoperability and baseline quality of the services provided by various agencies.

Geospatial Data Promotion & Development Committee (GDPDC)
2nd Floor, A-Block, Pushpa Bhawan, Madangir Road, New Delhi-110062
E-mail : gdpdc.sec@surveyofindia.gov.in, sgi.soi@gov.in
Tel (D) : +91 011 2995...

For any further clarification and support, officials of your department/agency may contact the following officers:

I. Shri. Sandeep Srivastava, Additional Surveyor General, GRF & Geospatial Data exchange Division, Survey of India, on email: sandeeps.soi@gov.in

II. Shri. Ashish Tiwari, Scientist- E (Director), Bureau Of Indian Standards, on email: ashishtiwari2205@bis.gov.in

With kind regards

Encl. as above.

Yours Sincerely,

hiteshmakwana

(Hitesh Kumar S. Makwana)

Shri Anand Bardhan, IAS
Chief Secretary to the Government of Uttarakhand
4 Subhash Road, Secretariat, Dehradun 248001 Uttarakhand
Email Id: cs-uttaranchal@nic.in

Annexure

Published Standards

No	IS No.	Title
1.	IS 13393:2024 ISO 6709:2022	Standard Representation of Geographic Point Location by Coordinates (Second Revision)
2.	IS 16554:2017	Data exchange standard for geospatial information
3.	IS 16626:2025 ISO 19136-1:2020	Geographic information - Geography Markup Language (GML) Part 1: Fundamentals
4.	IS 16626 (Part 2):2018 ISO 19136-2 : 2015	Geographic information - Geography markup language (GML): Part 2 extended schemas and encoding rules
5.	IS 16699:2018 ISO 19128 : 2005	Geographic information - Web map server interface
6.	IS 16701:2021 ISO 19142: 2010	Geographic information - Web Feature Service
7.	IS 16966:2018 ISO 19132 : 2007	Geographic Information - Location-Based Services - Reference Model
8.	IS 16967:2018 ISO 19133 : 2005	Geographic information – Location - Based services - Tracking and navigation
9.	IS 16968:2018 ISO 19134 : 2007	Geographic information – Location - Based services - Multimodal routing and navigation
10.	IS 16970:2018 ISO 19109 : 2015	Geographic information - Rules for applications schema
11.	IS 17007:2025 ISO 19103:2015	Geographic Information - Conceptual Schema Language (first revision)
12.	IS 18565 (Part 1):2024 ISO 19157-1 :2023	Geographic information - Data quality Part 1 General requirements
13.	IS 18565 (Part 2):2024 ISO/TS 19157-2	Geographic Information Data Quality Part 2: XML Schema Implementation
14.	IS 18594 (Part 2):2025 ISO 19152-2 : 2025	Geographic information Land Administration Domain Model LADM Part 2: Land registration (First Revision)
15.	IS 18594 (Part 1):2025 ISO 19152-1 : 2024	Geographic Information Land Administration Domain Model (LADM) Part 1 Generic Conceptual Model (First Revision)
16.	IS 18620 (Part 1):2024 ISO 19168-1:2020	Geographic information - Geospatial API for features - Part 1: Core
17.	IS 18620 (Part 2):2025 ISO 19168-2:2022	Geographic information - Geospatial API for features - Part 2: Coordinate Reference Systems by Reference
18.	IS 18793 (Part 1):2024 ISO 19101-1:2014	Geographic Information Reference Model Part 1: Fundamentals
19.	IS 18793 (Part 2):2024 ISO 19101-2:2018	Geographic information Reference model Part 2: Imagery
20.	IS 19116:2025 ISO 19105: 2022	Geographic information Conformance and testing
21.	IS 19321:2025	Navic Receiver - Specification
22.	IS 18008 (Part 1):2021	Smart Cities- GIS Reference Architecture
23.	IS 18008 (Part 2):2024	Smart Cities - GIS Part 2 Self-Assessment of GIS Reference Architecture

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

संख्याः 193548/XXX(2)/2024–E 61441

देहरादून, दिनांक 26 फरवरी, 2024

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

"उत्तराखण्ड [उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (यथासंशोधित)" अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 द्वारा सीधी भर्ती के प्रक्रम पर दिव्यांगों को राज्याधीन सेवाओं एवं पदों में रिक्तियों का 03 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया था।

2. दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की अनुमन्यता विषयक भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 एवं 26.04.2016 में उल्लिखित प्रावधानों एवं दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10.11.2010, कार्यालय ज्ञाप संख्या–232/XXX(2)/2018/30(05)/2014, दिनांक 26.09.2018 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–392/XXX(2)/2020/30(05)/2014, दिनांक 12.11.2020 तथा पार्श्वांकित शासनादेशों के माध्यम से कतिपय दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं, जिनमें मुख्यतः दिव्यांगों हेतु आरक्षण की मात्रा, दिव्यांगों की परिभाषा, आरक्षण के लिए दिव्यांगता की मात्रा, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, आरक्षण गणना रोस्टर, आयु सीमा में छूट आदि का प्राविधान किया गया है।

क्र0सं0	शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप
1.	17/जी.आई./कार्मिक–2/2003, दिनांक 03.06.2003
2.	432/XXX(2)/2015, दिनांक 14.03.2005
3.	1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10.11.2010
4.	32/XXX(2)/2014–03(11)2012, दिनांक 06.05.2014
5.	209/XXX(2)/2017, दिनांक 03.07.2017
6.	232/XXX(2)/2018–30(05)2014, दिनांक 26.09.2018
7.	392/XXX(2)/2020–30(05)2014, दिनांक 12.11.2020

3. भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.04.2017 को प्रख्यापित निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–312/XXX(2)/17/30 (5)/ 2014–टी.सी., दिनांक 27.10.2017 द्वारा भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 एवं दिनांक 26.04.2016 को तदनुसार राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों/पदोन्नतियों हेतु लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत सीधी भर्ती के प्रक्रम पर दिव्यांगता की परिभाषा को परिभाषित करते हुए उनकी श्रेणी को 05 भागों में विभाजित कर पूर्व अनुमन्य आरक्षण को 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 04 प्रतिशत कर दिया गया है।

4. निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की अनुमन्यता के सम्बन्ध में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–36035/02/2017–Estt(Res), दिनांक 15.01.2018 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

5. भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा उसके अनुक्रम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–312/XXX(2)/17/30(5)/2014–टी.सी., दिनांक 27.10.2017 तथा भारत सरकार के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.01.2018 द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देश के कारण कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा निर्गत पार्श्वांकित कार्यालय ज्ञाप/शासनादेशों में कतिपय प्रावधान वर्तमान में अप्रासांगिक हो गये हैं। दिव्यांगजनों को पदोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–36012/1/2020–स्था.(Res–II) दिनांक 17.05.2022 द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं। अतः भारत सरकार के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप के क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत पार्श्वांकित कार्यालय ज्ञाप/शासनादेशों को अधिक्रमित

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

करते हुए पदोन्नति के प्रक्रम पर राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मात्रा 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 04 प्रतिशत किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये जा रहे हैं :–

1. दिव्यांगों हेतु आरक्षण की मात्रा :–

समूह 'घ' से समूह 'ग', समूह 'ग' से समूह 'ख' तथा समूह 'ख' से समूह 'क' के सबसे निचले पायदान के पदों पर जिसमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक न हो, 04 प्रतिशत रिक्तियाँ, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी, जिसमें से एक–एक प्रतिशत रिक्तियाँ खण्ड–क, ख, ग के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत रिक्तियाँ खण्ड–घ एवं ङ के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए, उन दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गए पदों में आरक्षित होंगी अर्थात्:–

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि;

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास;

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;

(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर–अंधता सम्मिलित है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति के पद पर नियुक्ति के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की प्रमाणिकता की जांच/पुनर्जांच करायी जा सकती है।

2. दिव्यांगों हेतु आरक्षण से छूट :–

यदि कोई विभाग कार्य की प्रकृति के आधार पर किसी प्रतिष्ठान को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान से अंशतः अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो वह ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को संदर्भ प्रेषित कर सकता है। छूट प्रदान किये जाने के बारे में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विचार किया जाएगा। मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त समाज कल्याण विभाग द्वारा छूट प्रदान किये जाने विषयक आदेश निर्गत किये जाएंगे।

3. केवल निःशक्तता के आधार पर पदोन्नति से इंकार नहीं :–

(क) किसी भी व्यक्ति को मात्र उसकी निःशक्तता के आधार पर पदोन्नति से मना नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कार्मिक सेवा में रहते हुए दिव्यांग हो जाता है तो, न तो उसे सेवा से निकाला जाएगा और न ही उसके रैंक में कोई अवनति की जाएगी। यदि उक्त कार्मिक अपनी दिव्यांगता के कारण अपने धारित पद के दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है, तो समान वेतनमान एवं सेवाओं के साथ किसी अन्य पद पर शिफ्ट किया जा सकता है। यदि कार्य की प्रकृति के आधार पर उक्त कार्मिक को किसी अन्य पद पर समायोजन किया जाना सम्भव न हो तो, उसे एक अधिसंख्य पद पर तब तक रखा जाएगा जब तक कि उसके लिए उपयुक्त पद उपलब्ध न हो जाए अथवा अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त न हो जाए। यदि उक्त दिव्यांग व्यक्ति, जिसके लिए अधिसंख्य पद सृजित किया गया है, अगले उच्च वेतनमान में पदोन्नति के लिए अर्ह हो जाए तथा उसे किसी अन्य पद के सापेक्ष समायोजित किया जाना सम्भव न हो तो, जिस अधिसंख्य पद के सापेक्ष वह कार्यरत है, को समर्पित करते हुए अगले उच्च स्तर का एक अधिसंख्य पद सृजित किया जाएगा।

(ख) यदि कोई कार्मिक सेवा में आने के पश्चात् दिव्यांग हो जाता है, तो वह दिव्यांगजन हेतु प्रोन्नति में अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। किन्तु केवल ऐसे कार्मिक ही पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

(ग) अस्थायी दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांग आरक्षण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4. उपयुक्त नौकरियों/पदों की पहचान :–

समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–48/XVII–A–3/2023–01(11)/वि0क0/2017 दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियों/पदों का चिह्नांकन कर लिया गया है। सभी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा दिव्यांगजन को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश का उपयोग किया जाएगा।

5. एक, दो अथवा तीन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षण :–

यदि कोई पद दिव्यांगता की एक श्रेणी के लिए ही उपयुक्त चिह्नित किया गया हो, तो उस पद में आरक्षण उस दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। ऐसे मामलों में चार प्रतिशत का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा तथा उस पद में पूर्ण आरक्षण उस दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसके लिए वह चिह्नित किया गया हो। इसी तरह किसी पद के दिव्यांगता की दो या तीन श्रेणियों के लिए चिह्नित किये गये होने की स्थिति में जहाँ तक सम्भव हो, आरक्षण दिव्यांगता की उन दोनों या तीनों श्रेणियों (जैसी स्थिति हो) के व्यक्तियों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जाएगा, तथापि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिष्ठान में आरक्षण, विभिन्न पदों में इस तरह विभाजित किया जाय कि दिव्यांगता की सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को यथासम्भव समान प्रतिनिधित्व मिले। आरक्षण प्रदान करने हेतु 25 प्वाइंट के अन्तराल पर बनाए गए 100 प्वाइंट के रोस्टर का प्रयोग किया जाएगा अर्थात् दिव्यांग कार्मिक को उसके लिए निर्धारित प्वाइंट्स पर ही आरक्षण प्रदान किया जाएगा न कि समूहबद्ध तरीके से।

6. अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति :–

वरिष्ठता–सह–फिटनेस के आधार पर पदोन्नति की स्थिति में यदि दिव्यांग व्यक्ति प्रोन्नति हेतु अन्यथा अर्ह है तथा पदोन्नत व्यक्तियों की अंतिम सूची में सम्मिलित है, तो उसे अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जाएगी अर्थात दिव्यांग व्यक्ति को, केवल इस आधार पर कि कोई रिक्ति दिव्यांगजन की श्रेणी के लिए चिह्नित नहीं है, पदोन्नति से मना नहीं किया जा सकता है।

मानदण्डों में बिना किसी शिथिलीकरण के, अपनी ही योग्यता के आधार पर, अन्य उम्मीदवारों के साथ चुने गए दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति, रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किए जाएंगे। आरक्षित रिक्तियां, दिव्यांगता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों में से अलग से भरी जाएंगी जिनमें ऐसे शारीरिक रूप से वे दिव्यांग उम्मीदवार सम्मिलित होंगे जो योग्यता सूची में अन्तिम उम्मीदवार से योग्यता में नीचे होंगें, परन्तु नियुक्ति हेतु अन्यथा, यदि आवश्यक हो तो शिथिलीकृत मानदण्डों से उपयुक्त पाये जायेंगे।

7. उपयुक्तता मानदण्डों में छूट :–

यदि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्डों के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं (एलडीसीई/डीई आदि द्वारा पदोन्नति के मायने में), तो इनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदण्डों में शिथिलता देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जाय बशर्ते कि वे ऐसे पद अथवा पदों के लिए अनुपयुक्त न हों। किन्तु दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित मानदण्डों में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित सामान्य मानदण्डों में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु चाहे वे सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित हों, एक समान शिथिलता प्रदान की जाएगी, श्रेणीवार पृथक–पृथक शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी।

8. आरक्षण हेतु रिक्तियों की संख्या की गणना :–

जिन संवर्गों में दिव्यांगजन को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू है वहां समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना, अधिष्ठान में समूह

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' पदों में होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी, यद्यपि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की पदोन्नति, केवल उनके लिए उपयुक्त चिह्नित किये गये पदों पर ही की जायेगी।

9. आरक्षण लागू करना–रोस्टरों का रख–रखाव :–

(क) दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण निर्धारित करने/लागू करने के लिए सभी अधिष्ठान सीधी भर्ती की भांति, संलग्नक–1 में दिये गये प्रपत्र के अनुसार, समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के अन्तर्गत प्रत्येक संवर्ग के लिए पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के लिए पृथक–पृथक रोस्टर रजिस्टर बनाये जायेंगे।

(ख) प्रत्येक रजिस्टर में 100 बिन्दुओं के चक्र होंगे और 100 बिन्दुओं का प्रत्येक चक्र चार खण्डों में विभाजित होगा जिसमें निम्नलिखित बिन्दु होंगे:–

प्रथम खण्ड : बिन्दु संख्या – 1 से 25
द्वितीय खण्ड : बिन्दु संख्या – 26 से 50
तृतीय खण्ड : बिन्दु संख्या – 51 से 75
चतुर्थ खण्ड बिन्दु संख्या – 76 से 100

(ग) रोस्टर के 1, 26, 51 और 76 संख्या के बिन्दु दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों लिए आरक्षित चिन्हित किये जाएंगे जिनमें दिव्यांगता की चार श्रेणियों ('क', 'ख', 'ग' एवं 'घ/ङ') के लिए एक–एक बिन्दु होगा। नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि क्रमांक 1, 26, 51, तथा 76 पर पड़ने वाली रिक्तियाँ दिव्यांगों के सम्बन्धित श्रेणी के लिए चिह्नित हों, यद्यपि चयनित अभ्यर्थियों का रोस्टर रजिस्टर में स्थान निश्चित करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा अर्थात किस श्रेणी के दिव्यांग की नियुक्ति पहले होगी इसका निर्णय विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

(घ) इस बात पर विचार किए बिना कि कौन सी रिक्तियां दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हैं, सम्पूर्ण रिक्तियों की सूचना/विवरण संगत रोस्टर में अंकित की जाएगी। यदि बिन्दु संख्या–1 पर आने वाला पद, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं पहचाना गया है अथवा नियुक्ति प्राधिकारी इसे दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरना वांछनीय नहीं समझता है अथवा इसे किसी भी कारण से दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरा जाना सम्भव नहीं है तो बिन्दु संख्या–2 से 25 तक किसी भी बिन्दु पर आने वाली किसी रिक्ति को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए आरक्षित माना जाएगा और इसे तदनुसार भरा जाएगा। इसी प्रकार बिन्दु संख्या– 26 से 50 तक अथवा 51 से 75 तक अथवा 76 से 100 तक, किसी भी बिन्दु पर आने वाली रिक्ति को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से भरा जाएगा। बिन्दु संख्या–1, 26, 51 और 76 का आरक्षित रखने का उददेश्य उस श्रेणी के प्रथम उपयुक्त रिक्ति को उस श्रेणी में दिव्यांग अभ्यर्थी से भरा जाना जिसके लिए उक्त पद चिह्नित किया गया हो।

(ङ) इस बात की सम्भावना है कि बिन्दु संख्या–1 से 25 तक कोई भी रिक्ति, दिव्यांगता से ग्रस्त किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त न हो, तो उस स्थिति में बिन्दु संख्या– 26 से 50 तक 02 रिक्तियाँ, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जाएंगी। यदि बिन्दु संख्या 26 से 50 तक की रिक्तियाँ, किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं हो तो बिन्दु 51 से 75 तक के तीसरे खण्ड में से तीन रिक्तियाँ आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जाएंगी। इसका अभिप्राय यह है कि यदि रोस्टर के किसी खण्ड विशेष में कोई रिक्ति आरक्षित नहीं की जा सकती हो तो वह रिक्ति रोस्टर के अगले खण्ड में ले जायी जायेगी।

(च) रोस्टर के सभी 100 बिन्दु पूरे होने के पश्चात् 100 बिन्दुओं का एक नया चक्र शुरू होगा।

(छ) यदि एक वर्ष में रिक्तियों की संख्या केवल इतनी है कि उसमें केवल एक खण्ड (25 रिक्तियाँ) अथवा दो खण्ड (50 रिक्तियाँ) ही आच्छादित हैं तो दिव्यांग श्रेणियों के व्यक्तियों का समायोजन रोस्टर बिन्दु के अनुसार होना चाहिए। परन्तु यदि उक्त रिक्ति किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए चिह्नित नहीं है, तो इसका

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

विवेकाधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा कि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की किस श्रेणी को पहले समायोजित किया जाय तथा इस बात का निर्णय पद के स्वरूप, संबंधित ग्रेड/पद इत्यादि में दिव्यांगता से ग्रस्त विशिष्ट श्रेणी के प्रतिनिधित्व के स्तर के आधार पर किया जायेगा।

10. मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र :–

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधानों का सही सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के क्रम में मांगकर्ता प्राधिकारी, पदोन्नति करने वाली एजेंसी/डी0पी0सी0 आदि, के माध्यम से अथवा अन्य रीति से पदों को भरने हेतु मांग पत्र भेजते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे:–

प्रमाणित किया जाता है कि यह मांग पत्र भेजते समय उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित)] तथा दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है। इस मांग पत्र में सूचित उपर्युक्त रिक्तियाँ 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर के चक्र संख्या..........के बिन्दु संख्या......... पर आती हैं और उनमें से .... रिक्तियाँ दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।

दिव्यांगजन आरक्षण हेतु निर्धारित रिक्ति के सापेक्ष मौलिक नियुक्ति प्रदान करने के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी दिव्यांगजन आरक्षण का लाभ पाने का पात्र है।

11. रिक्तियों हेतु नोटिसः–

किसी निर्धारित/चिह्नित पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु दिव्यांग व्यक्तियों को उचित अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करने के क्रम में, रोजगार केन्द्रों, बोर्डों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, डी0पी0सी0 आदि को नोटिस भेजते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जायेगीः–

(I) दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्ति को स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(II) ऐसे पदों में रिक्तियों के मामलों में जिन्हें दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिह्नित किया गया हो, चाहे रिक्तियां आरक्षित हों या न हों, यह उल्लेख किया जाय कि सम्बद्ध पद सम्बद्ध दिव्यांगता की श्रेणियों यथा (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि; (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास; (ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता; (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता; (ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता के लिए उपयुक्त पहचाना गया है। पद के कार्यात्मक वर्गीकरण तथा ऐसे पद के सम्बन्ध में कार्य निष्पादन हेतु शारीरिक अपेक्षाओं को भी स्पष्टतः दर्शाया जाय।

(III) दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिह्नित किये गये पदों की रिक्तियों के मामले में यह दर्शाया जाय कि सम्बन्धित पद (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि; (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास; (ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता; (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता; (ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों जैसा भी मामला हो के लिए चिह्नित किया गया है और उपयुक्त श्रेणी/श्रेणियों से संबंधित दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति जिनके लिए पद उपयुक्त पहचाना गया है, को एलडीसीई (Limited Departmental Competitive Examination) से भरे जाने हेतु आवेदन करने की अनुमति है, भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जाएगा।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

(IV) दिव्यांगजन के लिए निर्धारित आरक्षण के लाभ हेतु केवल विधिक रूप से मान्य बेंचमार्क दिव्यांगता का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। अस्थायी रूप से दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

12. पदोन्नति के मामले में आरक्षण की आपसी अदला–बदली और अग्रेनीत किया जानाः–

(क) आरक्षित रिक्तियों को योग्यता के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरते समय सामान्य विचारण के क्षेत्र में आने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। जहां सामान्य विचारण क्षेत्र में दिव्यांगों की उपयुक्त श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते, वहां विचारण क्षेत्र रिक्तियों की संख्या का पांच गुना बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ाये गए विचारण क्षेत्र में आने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। यदि बढ़ाए गए विचारण क्षेत्र में भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो यदि सम्भव हो तो आरक्षण की अदला–बदली की जा सकती है, ताकि पद को दिव्यांगता की अन्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जा सके। यदि आरक्षण द्वारा पद को भरा जाना सम्भव नहीं हो तो पद को दिव्यांग व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा जाय तथा आरक्षण को अगले तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेनीत कर दिया जाय जिसके बाद यह समाप्त हो जाएगा।

(ख) अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति देने पर विचार किया जाएगा। यदि दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी का कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो सम्बन्धित श्रेणी के दिव्यांगता से ग्रस्त अतिरिक्त उम्मीदवारों को आवश्यक सीमा तक वरिष्ठता सूची में नीचे जाने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते वे पात्र हो, और यह पद उनके लिए चिह्नित किया गया हो। यदि विस्तारित पात्रता क्षेत्र में भी दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो उक्त रिक्ति भरी नहीं जाएगी तथा आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रेनीत कर दी जायेगी। यदि आगामी चयन वर्ष में भी चिह्नित श्रेणी का दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उसे अन्य श्रेणी के लिए चिह्नित दिव्यांगता से बदला जा सकता है। यदि इसके बावजूद भी दिव्यांग आरक्षण से रिक्ति भरा जाना सम्भव न हो तो रिक्ति को आगामी 02 वर्षों तक के लिए अग्रेनीत कर दिया जाएगा, जो उसके बाद समाप्त हो जाएगी।

(ग) यदि सभी रिक्तियों के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो पुराने अग्रेनीत किये गये पदों को पहले भरा जाएगा और वर्तमान रिक्तियों को यदि भरा नहीं गया है, तो अग्रेनीत कर दिया जाएगा।

13. दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभ्यावेदनों से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट :–

प्रत्येक विभाग द्वारा दिव्यांगजन की प्रोन्नति से सम्बन्धित आंकड़े सीधी भर्ती की भांति ही तैयार कर समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराए जायेंगे।

14. दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नोडल अधिकारी :–

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मामलों को देखने के लिए विभाग में नियुक्त नोडल अधिकारी दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए भी नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे और इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे।

15. दिव्यांगजन की शिकायतों के निवारण हेतु व्यवस्था :–

I. प्रत्येक विभाग द्वारा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) नियुक्त किया जायेगा।

II. शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा दिव्यांगजन की शिकायतों का एक रजिस्टर रखा जायेगा जिनमें निम्नलिखित विवरण होंगेः–

(क) शिकायत की तिथि
(ख) शिकायतकर्ता का नाम
(ग) विभाग/अधिकारी का नाम जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है
(घ) शिकायत का सार

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

(ङ) शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायत निस्तारण की तिथि
(च) अन्य विवरण

III. नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के भेद–भाव से क्षुब्ध/असंतुष्ट कोई भी दिव्यांग व्यक्ति सम्बन्धित शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

IV. शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत की 02 माह के अंदर 02 जांच की जायेंगी तथा उसके निष्कर्षों से शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

16. <u>दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी :–</u>

दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा। राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य संबंधित श्रेणी की दिव्यांगता का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।

मेडिकल बोर्ड, समुचित जांच पड़ताल के पश्चात् स्थायी दिव्यांगता के ऐसे मामलों में स्थायी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करेगा, जहाँ दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश न हो। मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों में प्रमाण–पत्र की वैधता की अवधि इंगित करेगा जिनमें दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की गुंजाइश हो। दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने से तब तक इंकार नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाय। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है। नियोक्ता प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर आरम्भिक नियुक्ति के समय वह यह सुनिश्चित करे कि उम्मीदवार, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र है।

अतः सभी विभाग अपने नियंत्रणाधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी में उपर्युक्त अनुदेशों को लाएंगे।

<u>संलग्नक : यथोक्त।</u>

Signed by Anand Bardhan
Date: 26-02-2024 13:02:14

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्याः 193548/**XXX**(2)/2024–**E** 61441 तद्दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
13. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

/193548/2024

14. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
17. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

Signed by Lalit Mohan Rayal
Date: 26-02-2024 14:32:38

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

संलग्नक–1

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर

भर्ती का वर्ष	साइकिल सं. और प्वाइंट सं.	पद का नाम	क्या विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पद उपयुक्त पाया गया है।					अनारक्षित अथवा आरक्षित	नियुक्त व्यक्ति का नाम नियुक्ति की तारीख	क्या नियुक्त किया गया व्यक्ति दृ.वि. /शा. वि. है अथवा इनमें से कोई नहीं	अभियुक्ति यदि कोई हो
			(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर–अंधता सम्मिलित है				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM